न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2023/105

1. रामलखन दास चेला स्व. श्री रामप्रसाद दास
2. शंकरदास चेला स्व. श्री रामप्रसाद दास, निवासीयान 343, दादूदयाल आश्रम, खणदेवत मार्ग निवाई, जिला टोंक, राजस्थान।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. शिवरामदास चेला श्री रामजीदास निवासी ग्राम काशीपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर दिनांक 17.01.2017

उपस्थित–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट
2. श्री सीताराम शर्मा , वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से
3. रेस्पो. नं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक –01.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 17.01.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम मून्दाहेडी स्थित आराजी खाता संख्या 28 के 15 खसरा नम्बरान कुल रकबा 6.9800 हैक्टेयर भूमि के खातेदार रामप्रसाद दास के देहान्त दिनांक 21.06.2015 को होने के उपरान्त विवादित आराजी का विरासत का नामान्तरकरण रामदास, रामलखन दास, शंकरदास एवं मोहन दास चेला रामप्रसाद दास ने चारों गुरू भाईयों के नाम खुलवाने हेतु तहसीलदार, कोटखावदा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते शिवरामदास की ओर से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजी विरासत के आधार पर अपने नाम दर्ज करने की प्रार्थना की। तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब एवं दस्तावेजात एवं बाद जांच उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17.01.2017 से विवादित आराजी शिवरामदास के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध रामदास वगैराह की ओर से संभागीय आयुक्त, जयपुर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15.03.2022 से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के विरूद्ध रेस्पोडेन्टस संख्या 2 शिवरामदास ने राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील/एलआर/2101/2022/जयपुर बउनवानी शिवरामदास बनाम रामलखनदास व अन्य प्रस्तुत की, जिसे मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2023 से स्वीकार कर प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर हाजा को अपील आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर व स्वीकृतशुदा प्रार्थना पत्रों के दस्तावेज अभिलेख पर लेकर ही उभयपक्षों द्वारा की बहस का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रत्येक बिंदु पर गुणावगुण पर निर्णय तीन माह में पारित करने के निर्देश प्रदान करते हुए प्रतिप्रेषित किया गया है।

3. तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 17.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामलखन दास चेला स्व. श्री रामप्रसाद वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर दिनांक 17.01.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट्स व रामदास ने एक प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम का तहसीलदार कोटखावदा के समक्ष इस आश्य का प्रस्तुत किया कि भूमि खाता संख्या 28 ग्राम मून्दाहेडी पटवार हल्का हरीपुरा के अन्तर्गत खसरा नम्बर 348, 349, 350/584, 371/585, 372, 492, 493, 494, 495, 531, 532, 533/587, 534, 537 व 537/588 कुल किता 15 कुल रकबा 6.98 हैक्टेयर उपरोक्त ग्राम में स्थित है। जिसके 3/4 हिस्से की खातेदारी स्व. श्री रामप्रसाद दास चेला श्री चुन्नीदास के नाम दर्ज है, उक्त श्री रामप्रसाद दास छोटे बाबा के नाम से प्रसिद्ध है जो दादूदयाल आश्रम निवाई में निवास करते थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 21.06.2015 को हो चुका है तथा मौजूदा अपीलान्ट स्वर्गीय रामप्रसाद दास के चेले हैं जिनको स्व. छोटे बाबा ने अपने जीवनकाल में ही चेला बना लिया था जिसके संदर्भ में नगर पालिका निवाई द्वारा स्व. श्री रामप्रसाद दास के नाम से जारी किये गये राशनकार्ड में अपीलान्ट का नाम चेलों के रूप में दर्ज है तथा अपीलान्ट के नाम से भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आधार कार्ड व चुनाव परिचय पत्र आदि में भी अपीलान्ट्स के नाम की वल्दियत में स्व. श्री रामप्रसाद दास के नाम अंकित है व अपीलान्ट संख्या 1 के वाहन अनुज्ञा पत्र व अपीलान्ट संख्या 2 की अमरनाथ यात्रा पर जाने हेतु बनाये गये पंजीकृत परिचय पत्र में भी स्व. श्री रामप्रसाद दास का नाम गुरू के रूप में अंकित है इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 2 के शैक्षणिक दस्तावेज में पिता के रूप में रामप्रसाद दास का नाम अंकित किया हुआ है जिससे यह पूर्णतया साबित है कि श्री रामप्रसाद दास के अपीलान्ट ही वारिस है तथा मौजूदा रेस्पोडेन्टस संख्या 2 शिवरामदास का स्व. श्री रामप्रसाद दास जी से किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है परन्तु शिवरामदास ने नाजायज तरीके से ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर ग्राम काशीपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 161, 163/1, 163/10, 163/11, 163/12, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 171, 311 व 321 कुल किता 16 कुल रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा का नामान्तरकरण फर्जीवाडे से स्व. श्री रामप्रसाद दास का वारिस बताकर स्वंय के हक में दर्ज करवा लिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट शंकरदास ने एक वाद बाबत धोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बस्सी के समक्ष प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा मौजूदा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवरामदास को वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व बेचान व निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया हुआ है। इसी कुत्सित उद्देश्य की पूर्ति हेतु नाजायज तरीके से प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण के पिता तुल्य गुरू की भूमि हडपने हेतु नाजायज प्रयास कर रहा है जबकि वह वास्तव में स्व. श्री रामजीदास का चेला है, जिसका प्रमाण स्वंय प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम जारी प्रश्नगत खसरा नम्बरान की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 से भी साबित है, जिसमें शिवरामदास चेला रामजीदास हिस्सा 1/4 अंकित किया गया है, इस प्रकार स्वंय प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 13.08.2015 को निष्पादित किया है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने आपको स्व. श्री रामजीदास का चेला होना अंकित किया है परन्तु फर्जी तरीके से उक्त उपहार पत्र में पिता के रूप में स्व. श्री रामप्रसाद दास जी का नाम अंकित किया है जबकि स्व. श्री रामप्रसाद दास जी महाराज आजीवन अविवाहित थे और उनके कोई भी जायन्दा संतान नहीं थी इसलिये निर्विवाद रूप से अपीलार्थीगण ही स्व. श्री रामप्रसाद दास जी के विधिक वारिसान है, इसलिये उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का विरासती नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज व स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने वारिसान की जॉच करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अपने पत्र दिनांक 25.01.2016 के माध्यम से तहसीलदार निवाई को प्रेषित किया जिस पर तहसीलदार निवाई ने अपने सम्बन्धित हल्का पटवारी एवं नगर पालिका कार्यालय से नियमानुसार जॉच करवाई और जॉच करवाने के पश्चात अपनी जॉच रिपोर्ट तहसीलदार कोटखावदा को प्रेषित की जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि स्व. श्री रामप्रसाद दास जी महाराज के अपीलार्थीगण ही मात्र वारिस है, सम्बन्धित पटवारी हल्का ने जो जॉच रिपोर्ट दिनांक 18.11.15 प्रेषित की थी उसमें भी अपीलार्थीगण को ही स्व. श्री रामप्रसाद दास जी महाराज का चेला व वारिसान उल्लेखित किया है, साथ ही अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका निवाई व श्रीमती सुशीला वर्मा पार्षद वार्ड नम्बर 3, निवाई ने भी अपीलार्थीगण को ही स्व. श्री रामप्रसाद दास जी महाराज का वारिस होना अंकित किया है इसके अलावा श्री दादू पंच भण्डारियान समिति, श्री द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी से प्रत्यर्थी संख्या 2 का किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 557 दिनांक 05.08.15 व ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र को श्रेष्ठ दस्तावेज मानते हुए तथा ग्राम पंचायत काशीपुरा द्वारा जारी राशन कार्ड व शिवरामदास पर फर्जी तरीके से डाली गई चादर व फोटोग्रापस के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या को स्व. श्री रामप्रसाद दास जी का वारिस मानकर तथ्यात्मक भूल की है जबकि वास्तव में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णतया यह साबित है कि मात्र अपीलार्थीगण ही स्व. श्री रामप्रसाद जी के वारिस हैं, स्व. श्री रामप्रसाद जी का स्वर्गवास 21.06.15 को हुआ था। जिसका सार्वजनिक भण्डारा व चरण प्रतिष्ठा दादूदयाल आश्रम निवाई में दिनांक 23.06.15 से 16.07.15 की अवधि में किये गये कार्यक्रमों के तहत हुआ था परन्तु फर्जी तरीके से वारिस बनने की नीयत से प्रत्यर्थी संख्या 2 ने स्व. श्री रामप्रसाद दास जी ब्रह्मलीन अर्थात स्वर्गवास होने के एक वर्ष पश्चात जुलाई 2016 में चादर ओढाने का व मिथ्या भण्डारे का निमन्त्रण पत्र तथा फोटोग्राफ आदि तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के समक्ष प्रस्तुत किये जो विधि के दृष्टि से ग्राहय नहीं है, इसलिये भी आलौच्य आदेश दिनांक 17.01.2017 विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं होने के आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 अपास्त किया जावे तथा प्रश्नगत कृषि भूमि खाता संख्या 28 ग्राम मून्दाहेडी, पटवार हल्का हीरापुरा के अन्तर्गत खसरा नम्बर 348, 349, 350/584, 371/585, 372, 492, 493, 494, 495, 531, 532, 533/587, 534, 537 व 537/588 कुल किता 15 कुल रकबा 6.98 हैक्टेयर उक्त ग्राम में स्थित है। जिसके 3/4 हिस्से की खातेदारी स्व. श्री रामप्रसाद दास चेला श्री चुन्नीदास के नाम दर्ज है, का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज व स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमायें जावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि शंकरदास ने अलग–अलग पते लिखकर अपील पेश की है इसलिये तथाकथित फर्जी पते लिखकर, फर्जी चेला बनकर अपील पेश करने का अधिकार शंकरदास को कतई नहीं है क्योंकि अपीलांट संख्या 3 की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष मुकदमा नम्बर 16/17 बाबत उद्धो ाणा व स्थाई निशेघाज्ञा बउनवानी शंकरदास बनाम शिवरामदास रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 18.01.17 को अर्थात न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा के आदेश दिनांक 17.01.17 के एक दिन बाद पेश किया और वादपत्र के चरण संख्या 5 में वादकरण यह अंकित किया कि दिनांक 17.01.17 को प्रतिवादी जो उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 है द्वारा भूमि का नामान्तरकरण अपने हक में खुलवाने की धमकी देने के बाद वादकरण बताते हुये वाद पेश किया अर्थात अपीलान्ट संख्या 3 को तो न्यायालय कोटखावदा के आदेश की जानकारी ही नहीं है तो फिर शंकरदास अपील कैसे पेश कर सकता है जबकि तथाकथित शंकरदास दिनांक 18.01.17 को हक घोषणा का वाद पेश कर चुका है और वह विचाराधीन है उसमें स्थगन आदेश जारी है फिर भी न्यायालय से छलकपट करते हुए अलग–अलग पते लिखते हुये गलत पते का शपथ पत्र पेश करते हुए अपील पेश की है जिसका कि शंकरदास को कोई अधिकार नहीं है इसलिये अपील काननून चलने योग्य नहीं है बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। उन्होनें आगे कथन किया है कि अपीलान्ट रामलखनदास व शंकरदास तो विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.07.2016 को बहैसियत गवाह उपस्थित हाकर अपने फोटो पहचान पत्र व शपथ पत्र पेश कर किये इसलिये गवाह को अपी पेश करने का कोई अधिकार प्रक्रिया संहिता में नहीं है इसलिये भी हस्तगत अपील में अपीलान्ट ने तहसीलदार कोटखावदा के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार कानून में नहीं होने के कारण उक्त शीर्षक अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि तथाकथित अपीलान्ट द्वारा यह कहना कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामजीदास का चेला है इस बाबत निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवरामदास का सगा भाई था और उसकी मृत्यु के बाद उसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम खुल गया और इस प्रकार रिकार्ड चेला रामजीदास अंकित हो गया, रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार बस्सी के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया और ग्राम पंचायत ने जो सजरा बनाया उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि वह रामप्रसाद दास जी का शिष्य/बेटा है और ग्राम पंचायत सजरा बताते हुये रामप्रसाद दास जी को चेला रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को मानते हुये नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकार किया गया किन्तु रिकार्ड में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की वल्दियत शिवरामदास चेला रामजीदास अंकित कर दी जिसे दुरूस्ती की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 चाराजोही करके करवा लेगा इससे अपीलान्ट को कोई फायदा नहीं मिलता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की वल्दियत यदि उसके भाई के नाम से हो गई तो अपीलान्ट को रामप्रसाद दास जी का शिष्य होने की पुष्टि नहीं हो सकती। लिहाजा गलत रूप से पेश अपील खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की लिखित बहस के तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्देशानुसार अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने एक–दूसरे के प्रार्थना पत्रादि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को स्वीकार करने पर अपनी सहमति दिये जाने पर प्रस्तुत दस्तावेजात् को स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम मून्दाहेडी स्थित आराजी खाता संख्या 28 के 15 खसरा नम्बरान कुल रकबा 6.9800 हैक्टेयर भूमि के खातेदार रामप्रसाद दास के देहान्त दिनांक 21.06.2015 को होने के उपरान्त विवादित आराजी का विरासत का नामान्तरकरण रामदास, रामलखन दास, शंकरदास एवं मोहन दास चेला रामप्रसाद दास ने चारों गुरू भाईयों के नाम खुलवाने हेतु तहसीलदार, कोटखावदा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते शिवरामदास की ओर से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजी विरासत के आधार पर अपने नाम दर्ज करने की प्रार्थना की। तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब एवं दस्तावेजात एवं बाद जांच उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17.01.2017 से विवादित आराजी शिवरामदास के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार श्री रामप्रसाद दास श्रीदादूदयाल आश्रम निवाई जिला टोंक में निवास करते थे और उनका स्वर्गवास दिनांक 21.06.2015 को हुआ है तथा अपीलान्ट संख्या 2 रामलखन दास के नाम 095–निवाई निर्वाचन क्षेत्र का जारी वोटर पहचान पत्र संख्या एबीएफ/0390773 दिनांक 31.12.2011 में उनके पिता का नाम रामप्रसाद दास अंकित है, इसी प्रकार तहसीलदार निवाई द्वारा क्रमांक 34072 दिनांक 26.11.12 से मोहनदास स्वामी के नाम जारी अन्य पिछडा जाति प्रमाण पत्र में मोहनदास पुत्र चेला श्री रामप्रसाद दास अंकित है तथा अपीलार्थीगण निवाई के निवासी भी है जबकि नामान्तरकरण संख्या 557 ग्राम काशीपुरा में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शिवरामदास चैला रामजीदास अंकित है और जब अपीलान्ट अपनी अपील में खातेदार रामप्रसाद दास को आजीवन अविवाहित कहकर आ रहे है, तो ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामजीदास का चेला है और खातेदार रामप्रसाद दास अविवाहित थे, तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को खातेदार का वारिस मानने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं थे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार कोटखावदा को अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को खातेदार का वारिस नहीं मानना चाहिये था। इसमें हमारा विनम्र मत है कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के खातेदार रामप्रसाद दास के देहान्त दिनांक 21.06.2015 को होने के उपरान्त विवादित आराजी का विरासत का नामान्तरकरण रामदास, रामलखन दास, शंकरदास एवं सोहन दास चेला

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रामप्रसाद दास ने चारों गुरू भाईयो के नाम खुलवाने तथा शिवरामदास ने भी विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। सभी पक्षकारान में रामप्रसाद की विवादित भूमि को लेकर विवाद था। जिनमें से किसी के पास भी रामप्रसाद दास का सक्षम न्यायालय से प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं था तो किस आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामप्रसाद का वारिस माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट को अनुतोष नियमित वाद से मिल सकता है। दोनों को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिये। साथ ही नामान्तरकरण एक fiscal proceeding हैं, जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। समस्त साक्ष्यों का विवेचन किया गया। सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य व शपथपत्रों पर विचार किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा कृषि भूमि खाता संख्या 28 ग्राम मून्दाहेडी, पटवार हल्का हरीपुरा के अन्तर्गत खसरा नम्बर 348, 349, 350/584, 371/585, 372, 492, 493, 494, 495, 531, 532, 533/587, 534, 537 व 537/588 कुल किता 15 रकबा 6.98 हैक्टर उक्त ग्राम में स्थित है, की खातेदारी जो स्व. श्री रामप्रसाद दास चेला श्री चुन्नीदास के नाम दर्ज है का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमाये जाते है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2017 को निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर
संभागीय आयुक्त
जयपुर